न्यायालय मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
जयपुर जिला जयपुर
(अति0 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम–1, जयपुर जिला जयपुर)

पीठासीन अधिकारी : विकास कालेर, आर.जे.एस.
''जिला न्यायाधीश संवर्ग''

मो.दु.वाद संख्या : 91 / 2022

एन.सी.वी. नंबर : 94 / 2022

सी.एन.आर.नंबर : RJJD010014532022

1. बिजेन्दर सिंह पुत्र देशराज, आयु 67 वर्ष (मृतक का पिता)
2. राकेश पुत्र बिजेन्दर सिंह, आयु 27 वर्ष (मृतक का भाई)
समस्त जाति– जाट, निवासी 102, ब्लॉक–ए, सुरखपुर रोड़, गोपाल नगर, पुलिस थाना–बाबा हरिदास, साउथ वेस्ट, नज़फगढ़, दिल्ली–110043

........**आवेदकगण / प्रार्थीगण**

विरूद्ध

1. मुकेश कुमार जाट पुत्र नन्दराम जाट, जाति– जाट, निवासी–वार्ड नम्बर 11, लेट का बास, तहसील– शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.) मो.नं. 9166626636 वक्त दुर्घटना वाहन चालक ट्रेलर नं. RJ-52-GA-5093)
2. आकाश बारबरवाल पुत्र श्यामसुन्दर जाट, जाति–जाट, निवासी– बगड़ी कॉलोनी, देवन रोड़, वार्ड नम्बर–19, तहसील– शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.) मो.नं. 9983466834 (वक्त दुर्घटना वाहन स्वामी एवं बीमा धारक ट्रेलर नं. RJ-52-GA-5093)
3. दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि., जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा – तृतीय मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर व 9वां, 10वां तल, एनबीसीसी सेन्टर, सहकार मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
पॉलिसी नम्बर – 241107 / 31 / 2022 / 3270
बीमा प्रभावित तिथि 03–12–2021 से 02–12–2022 तक)
(वक्त दुर्घटना वाहन बीमाकर्ता बीमा कम्पनी ट्रेलर नं. RJ-52-GA-5093)
दुर्घटना दिनांक 09.04.2022

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 140 व 166 एम.वी. एक्ट 1988 व 1994 सपठित नियम 10(2) राजस्थान मोटरयान नियमावली, 1990 बाबत दिलाये जाने प्रतिकर राशि

उपस्थितः–

01– सर्वश्री मनोहरलाल जाट, सोहनलाल, अशोक कुमार जाट, रविन्द्र सिंह, अधिवक्तागण, प्रार्थीगण की ओर से।
02– श्री विजय कुमार मौर्य, अधिवक्ता, बीमा कंपनी अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से।
03– अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय :: **दिनांकः 04 जुलाई, 2026**

1. प्रार्थीगण बिजेन्दर व अन्य की ओर से क्लेम याचिका दिनांक 20.06.2022 को न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण जयपुर जिला जयपुर के समक्ष धारा 140/166 मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रस्तुत क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि याचीगण बिजेन्दर व राकेश के द्वारा दुर्घटना में विकास जाट की मृत्यु होने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति हेतु क्लेम याचिका धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अयाचीगण के विरूद्ध विभिन्न मदों में कुल क्षतिपूर्ति राशि 1,10,47,600/रूपये की मांग करते हुए इन तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है कि दिनांक 09.04.2022 को समय करीब 06.00 ए.एम पर गाड़ी आयशर 1114 रजि.नंबर HR-63-C-9939 में चालक राजेश कुमार व मृतक विकास जाट अहमदाबाद से परचून का सामान भरकर रोहतक जाते समय सेवड़ माता मंदिर के पास, दिल्ली बाईपास, चंदवाजी पहुंचे तो आगे रोड़ पर चल रहे ट्रेलर नंबर RJ-52-GA-5093 के चालक ने अपने वाहन को अचानक ब्रेक लेकर खड़ा कर देने की वजह से आयशर गाड़ी उसके अंदर घुस गई, जिससे विकास जाट के गंभीर चोटें आने के परिणामस्वरूप विकास जाट की मृत्यु हो गई। अप्रार्थी संख्या–1 वाहन चालक, अप्रार्थी संख्या–2 का पंजीकृत वाहन स्वामी होना तथा विवादित वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कंपनी द्वारा बीमित होना बताया गया है। इस प्रकार विपक्षीगण की इस दुर्घटना में क्षतिपूर्ति हेतु प्रतिनिधित्व दायित्व के तहत जिम्मेदारी है।

3. प्रार्थीगण बिजेन्दर व अन्य ने क्लेम याचिका में यह भी अभिकथन किया है कि उक्त दुर्घटना से पूर्व मृतक विकास जाट 23 वर्षीय हृष्ट–पुष्ट, स्वस्थ, होनहार, अनुभवी, समझदार नवयुवक था जो वर्कशॉप में मैकेनिक का कार्य एवं कैंटर आयशर HR-63-C-

9939 के मालिक पवन कुमार के यहां खलासी का कार्य कर प्रतिमाह 24,000/–रुपये आय अर्जित करता था।

4. अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 02.04.2024 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जिस कारण अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

5. अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कंपनी ने दुर्घटना के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि तथाकथित दुर्घटना घटित होने की सूचना नियमानुसार व पॉलिसी की शर्तों के अनुसार विपक्षी बीमा कंपनी को वाहन स्वामी द्वारा नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा अपनी जवाब याचिका में विवादित वाहन के चालक के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी अनुज्ञापत्र नहीं होना, वक्त दुर्घटना आयशर चालक द्वारा मोटरयान अधिनियम का उल्लघंन करते हुए वाहन चला रहे होना तथा विवादित वाहन के पास वैध एवं प्रभावी परमिट व फिटनेश नहीं होना, मृतक द्वारा वाहन को गफलत एवं लापरवाही से चलाने के कारण उक्त दुर्घटना घटित होने बाबत् आपत्ति दर्ज करते हुए विवादित वाहन को अप्रार्थी संख्या–3 के यहां बीमित होना स्वीकार किया है तथा क्लेम याचिका अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

6. पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये गये है जो निम्नवत् हैं :–

01. आया प्रश्नगत वाहन ट्रेलर नम्बर RJ-52-GA-5093 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 09.04.2022 को समय 6.00 ए.एम पर सेवड़ माता मंदिर के पास, दिल्ली बाईपास चन्दवाजी पुलिस थाना चन्दवाजी क्षेत्र में वाहन का संचालन उपेक्षा/उतावलेपन से कर वाहन को अचानक ब्रेक लगाकर खड़ा कर देने की वजह से गाडी आयशर 1114 रजि0 नं0 HR-63-C-9939 उसके अन्दर घुस गई जिससे विकास जाट के गंभीर चोटें आई जिसके परिणामस्वरूप विकास जाट की मृत्यु कारित हुई?

––प्रार्थीगण

02. आया वाहन चालक अप्रार्थी संख्या 1 बरवक्त दुर्घटना वाहन के पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ एवं लाभार्थ उक्त वाहन को चला रहा था?

—प्रार्थीगण

03. आया अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी अपने लिखित कथन में दर्ज अनुसार प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, नहीं तो इसका प्रभाव ?

—अप्रार्थी संख्या 3

04. आया दावेदार दावा में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्यायसम्मत राशि प्राप्त कर सकते है, हां तो कौन—कौन दावेदार, कितनी—कितनी राशि, किस—किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते हैं?

——प्रार्थीगण

05. अनुतोष?

7. उपरोक्त विवाद्यकों को साबित करने के लिए प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में बिजेन्द्र ए.डब्लू—1, राजेश कुमार ए.डब्लू—2, पवन कुमार ए.डब्लू—3 को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श—1 एफआईआर की सत्यप्रति, प्रदर्श—2 चार्जशीट की सत्य प्रति, प्रदर्श—3 तहरीरी रिपोर्ट की प्रति, प्रदर्श—4 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श—5 फर्द सूरत हाल व अस्थायी सुपुर्दगी वाहन आयशर की प्रति, प्रदर्श—6 नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एम.वी.एक्ट, प्रदर्श—7 नोटिस अन्तर्गत धारा 134 एम.वी.एक्ट, प्रदर्श—8 फर्द जप्ती ट्रेलर RJ-52-GA-5093, प्रदर्श—9 फर्द जप्ती कागजात ट्रेलर, प्रदर्श—10 आर.सी. ट्रेलर, प्रदर्श—11 चालन अनुज्ञप्ति पत्र मुकेश, प्रदर्श—12 बीमा प्रमाण पत्र ट्रेलर, प्रदर्श—13 फॉर्म नंबर 47, प्रदर्श—14 फिटनेश प्रमाण पत्र ट्रेलर, प्रदर्श—15 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक विकास, प्रदर्श—16 पोस्टमार्टम बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति, प्रदर्श—17 फर्द पंचायतनामा मृतक विकास, प्रदर्श—18 रसीद सुपुर्दगी लाश, प्रदर्श—19 मेकेनिकल मुआयना ट्रेलर, प्रदर्श—20ए चालन अनुज्ञप्ति पत्र राजेश की प्रति, प्रदर्श—21ए आर.सी आयसर की प्रति को प्रदर्शित करवाया गया तथा अपनी साक्ष्य समाप्त की।

8. अप्रार्थी संख्या—3 को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या—3 की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया जबकि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ए.डब्लू 1 बिजेन्दर की साक्ष्य के दौरान मृतक के आधार कार्ड की प्रति को एन.ए. 1 रूप में प्रदर्शित करवाया गया।

9. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने तर्क दिया कि दुर्घटना के समय मृतक विकास गाड़ी आयशर 1114 रजिस्ट्रेशन नंबर HR-63-C-9939 में चालक राजेश कुमार के साथ अहमदाबाद से परचून का सामान भरकर आ रहा था तभी सेवड़ माता मंदिर के पास दिल्ली बाईपास पर ट्रेलर नंबर RJ-52-GA-5093 के चालक द्वारा उक्त वाहन के अचानक ब्रेक लगा देने से मृतक की गाड़ी उक्त ट्रेलर के अंदर घुस गई जिससे मृतक विकास जाट के गंभीर चोटे आने से उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थीगण मृतक पर आश्रित थे, इसलिए क्लेम याचिका में अंकित मुआवजा राशि मय ब्याज दिलवाई जावे।

10. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण चालक व वाहन स्वामी से मिलकर क्लेम प्राप्त करने के लिए गलत रूप से बीमित वाहन को दुर्घटना में संलिप्त किया गया है। बरवक्त दुर्घटना वाहन ट्रेलर RJ-52-GA-5093 के चालक के पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था। प्रश्नगत दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन आयशर रजिस्ट्रेशन नंबर HR-63-C-9939 के चालक की भी लापरवाही रही है। अतः यदि अप्रार्थी संख्या–3 का कोई दायित्व बनता है तो वह अंशदायी योगदान तक ही सीमित है। अतः प्रार्थीगण की क्लेम याचिका अस्वीकार कर खारिज की जावे। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः–

1. श्रीमती धापू बाई एवं अन्य बनाम रघुवीर सिंह एवं अन्य, 2016 (2) आर.ए.आर. 690 राज.
2. शब्बीर खान बनाम गौरव शर्मा व अन्य, 2014 आर.ए.आर. 159 (राज.),
3. मालाराम बनाम रूपाराम व अन्य, 2004 आर.ए.आर 543 (राज.)
4. यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉ.लि. बनाम पवन टिक्कीवाल व अन्य, 2008 आर.ए.आर. 56 (राज.)
5. शिव सिंह व अन्य बनाम धीर सिंह व अन्य, 2022(1) आर.ए.आर. 51 (राज.)

पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन, अवलोकन किया गया। विवाद्यकवार विनिश्चय निम्नानुसार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या–1</u>

विवाद्यक संख्या–1 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा यह साबित किया जाना है कि–

"आया प्रश्नगत वाहन ट्रेलर नम्बर RJ-52-GA-5093 के चालक अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 09.04.2022 को समय 6.00 ए.एम पर सेवड़ माता मंदिर के पास, दिल्ली बाईपास चन्दवाजी पुलिस थाना चन्दवाजी क्षेत्र में वाहन का संचालन उपेक्षा / उतावलेपन से कर वाहन को अचानक ब्रेक लगाकर खड़ा कर देने की वजह से गाडी आयशर 1114 रजि0 नं0 HR-63-C-9939 उसके अन्दर घुस गई जिससे विकास जाट के गंभीर चोटें आई जिसके परिणाम–स्वरूप विकास जाट की मृत्यु कारित हुई?"

11. उक्त विवाद्यक संख्या–1 को साबित करने की दिशा में प्रार्थीगण द्वारा अपनी क्लेम याचिका के समर्थन में मृतक के पिता बिजेन्दर को बतौर गवाह ए.डब्लू.1 परीक्षित करवाया गया है जिसने प्रश्नगत दुर्घटना में अपने पुत्र विकास की मृत्यु होने तथा उक्त दुर्घटना ट्रेलर के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक अचानक ब्रेक लगा देने से मृतक का वाहन उक्त ट्रेलर से टकराने के कारण घटित होने का कथन करते हुए दस्तावेजात् के रूप में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–19 तक को प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षा में यद्यपि उक्त साक्षी ने स्वयं द्वारा प्रश्नगत दुर्घटना देखने से इंकार किया है परन्तु मुख्य परीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने वरवक्त दुर्घटना अपने पुत्र विकास के साथ ट्रक में चालक राजेश का भी उपस्थित होना बताया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी क्लेम याचिका में भी बरवक्त दुर्घटना मृतक विकास के साथ गाड़ी संख्या HR-63-C-9939 में चालक राजेश कुमार की उपस्थिति बताई गई है अर्थात् उक्त राजेश कुमार प्रश्नगत दुर्घटना का चश्मदीद साक्षी है जिसे प्रार्थीगण ने अपनी क्लेम याचिका के समर्थन में बतौर गवाह ए. डब्लू. 2 परीक्षित करवाया है। उक्त राजेश कुमार ए.डब्लू.2 अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट कथन करता है कि दिनांक 09.04.2022 को वह तथा उसके साथ खलासी विकास अहमदाबाद से परचून का सामान गाड़ी आयशर 1114 HR-63-C-9939 से भरकर रोहतक जा रहे थे। जब समय करीब सुबह 06.00 पर सेवड़ माता मंदिर के पास दिल्ली बाईपास चंदवाजी, जयपुर के पास होटल देवनारायण के सामने पहुंचे तो एक ट्रेलर नंबर RJ-52-GA- 5093 के चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर उनके वाहन को ओवरटेक कर अचानक ब्रेक लगा दिया जिसकी वजह से दुर्घटना हुई जिससे उसके अंदरूनी चोटें आईं एवं विकास के सिर पर गंभीर चोट आई जिससे विकास की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि यह दुर्घटना ट्रेलर नंबर RJ-52-GA-5093 के चालक द्वारा लापरवाही से चलाकर अचानक रोड़ पर रोकने की वजह से हुई

थी। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी कथन करता है कि दुर्घटना के समय उसकी गाड़ी की स्पीड़ 48—50 के बीच थी। उनकी गाड़ी से 15—20 फीट आगे जाकर ट्रेलर ने ब्रेक लगाये थे। उनकी गाड़ी लिप्त वाहन के पीछे वाले हिस्से से ड्राईवर साईड़ की ओर टकराई थी जो कि पिछले हिस्से के दाहिनी साईड़ से टकराई थी। ट्रेलर का घोड़ा सफेद रंग का था और बॉडी पीले रंग की थी। यह कहना गलत है कि उनका वाहन किसी अन्य वाहन से टकराया हो और अन्य वाहन से दुर्घटना कारित हुई हो।

12. इस प्रकार प्रश्नगत दुर्घटना के चश्मदीद साक्षी के बतौर गवाह ए.डब्लू. 2 राजेश कुमार ने अपने सशपथ कथनों में वाहन संख्या RJ-52-GA- 5093 के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक उनके वाहन के आगे अचानक ब्रेक लगाकर उक्त वाहन को रोक देने के कारण उक्त दुर्घटना कारित होने बाबत् प्रार्थीगण की क्लेम याचिका का पूर्ण समर्थन किया है तथा उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे वाहन संख्या RJ-52-GA- 5093 के चालक की वरवक्त दुर्घटना लापरवाही दर्शित न होती हो।

13. प्रश्नगत दुर्घटना के संदर्भ में परिवादी पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट भी घ ाटना के दिन ही दर्ज करवाई गई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—1, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श—3 के आधार पर संस्थित हुई है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श—3 पवन कुमार द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना चंदवाजी के समक्ष प्रश्नगत दुर्घटना की दिनांक 09.04.2022 को ही प्रस्तुत करते हुए उक्त तहरीरी रिपोर्ट में ट्रेलर संख्या RJ-52-GA-5093 के चालक द्वारा ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाने से मृतक के वाहन HR 63-C-9939 का उक्त ट्रेलर से टकराये जाने बाबत् स्पष्ट कथन अंकित किया है।

14. दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दुर्घटना के दिन ही दर्ज करवाया जाना तथा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की पहचान अर्थात् उक्त वाहन का पंजीयन नंबर का उल्लेख किये जाने से विवादित वाहन को क्लेम प्राप्त करने की नीयत से षड़यंत्र के तहत झूठा संलिप्त किये जाने की संभावना भी निर्मूल हो जाती है।

15. प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता पवन कुमार को प्रार्थीगण द्वारा बतौर गवाह ए.डब्लू.3 परीक्षित करवाया गया है जिसने स्वयं द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श—1 में दर्ज तथ्यों की ताईद करते हुए स्पष्ट कथन किया है कि उसका वाहन HR 63-C-9939 जो अहमदाबाद से परचून का सामान लेकर रोहतक जा रहा था, जिस पर

ड्राईवर राजेश कुमार तथा खलासी विकास कुमार थे। दिनांक 09.04.2022 को सुबह करीब 06.00 ए.एम पर सेवड़ माता के मंदिर के पास दिल्ली बाईपास चंदवाजी, जयपुर के पास होटल देवनारायण के सामने पहुंचे तो ट्रेलर नंबर RJ-52-GA- 5093 के चालक ने तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर वाहन को ओवरटेक करके बिना दिशा–निर्देश दिये अचानक ब्रेक लगा दिये। दुर्घटना में खलासी विकास जाट की मौके पर मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षा में यद्यपि उक्त साक्षी प्रश्नगत दुर्घटना स्वयं द्वारा देखने से इंकार करता है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम याचिका में ऐसी कोई कहानी भी नहीं रही है कि उक्त पवन कुमार ए.डब्लू. 3 प्रश्नगत दुर्घटना का चश्मदीद साक्षी हो। इस प्रकार उक्त साक्षी ए.डब्लू. 3 ने चश्मदीद साक्षी ए.डब्लू. 2 का पूर्ण समर्थन करते हुए प्रश्नगत दुर्घटना वाहन संख्या RJ-52-GA- 5093 के चालक की लापरवाही से घटित होने का कथन करते हुए प्रार्थीगण की क्लेम याचिका का पूर्ण समर्थन किया है।

16. इसी स्तर पर नक्शा मौका प्रदर्श–4 के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि नक्शा मौका में ''एक्स'' स्थान पर जहां घटनास्थल दर्शाया गया है, वहां परिवादी पक्ष के वाहन के ठीक आगे दुर्घटना कारित करने वाले ट्रेलर का खड़ा होना दर्शाया गया है। चश्मदीद साक्षी ए.डब्लू. 2 के कथनानुसार विवादित ट्रेलर RJ-52-GA- 5093 के पिछले हिस्से से ड्राईवर दिशा की ओर से उनका वाहन टकराया था जो कि पिछले हिस्से की दाहिनी साईड़ थी। इसी स्तर पर फर्द जब्ती ट्रेलर प्रदर्श–8 के अवलोकन से प्रकट होता है कि जब्त किये जाने के समय उक्त ट्रेलर RJ-52-GA- 5093 के पीछे के दांए हिस्से पर नया काम करवाया हुआ है जो भिन्न रंग का है। अतः दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के जिस हिस्से पर टक्कर लगी, उस हिस्से बाबत् चश्मदीद साक्षी ए.डब्लू. 2 द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि फर्द जब्ती ट्रेलर प्रदर्श–8 से भी होती है जो तथ्य प्रश्नगत दुर्घटना में उक्त वाहन ट्रेलर RJ-52-GA- 5093 की संलिप्तता को भलीभांति पुष्ट करता है।

17. दौराने बहस अधिवक्ता विपक्षी संख्या–3 का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि चश्मदीद साक्षी ए.डब्लू. 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में ट्रेलर नंबर RJ-52-GA- 5093 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाहीपूर्वक उनके वाहन को ओवरटेक करना तथा ओवरटेक करने के पश्चात् अचानक ब्रेक लगाना बताया है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–1 में उक्त वाहन RJ-52-GA- 5093 द्वारा ओवरटेक किये जाने का कोई तथ्य अंकित नहीं है। अतः ए.डब्लू. 2 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती।

18. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 के उक्त तर्क के संदर्भ में न्यायालय का मत है कि विधिनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट में सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश होना आवश्यक नहीं है। प्रश्नगत दुर्घटना बाबत् दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन संख्या HR 63-C-9939 के स्वामी पवन कुमार द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना चंदवाजी के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रदर्श–3 प्रस्तुत किया गया था उसमें परिवादी पवन कुमार ने ट्रेलर संख्या RJ-52-GA- 5093 के चालक द्वारा उक्त ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगाकर मृतक के वाहन के आगे खड़ा कर देने की वजह से प्रश्नगत दुर्घटना कारित होने के तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किये हैं। यद्यपि उक्त रिपोर्ट प्रदर्श–3 में ट्रेलर संख्या RJ-52-GA- 5093 द्वारा मृतक के वाहन को ओवरटेक किये जाने का तथ्य अंकित नहीं है परन्तु न्यायालय के समक्ष परिवादी पवन कुमार जो बतौर गवाह ए.डब्लू. 3 परीक्षित हुआ है, ने अपने वाहन चालक राजेश कुमार के बताए अनुसार स्पष्ट रूप से ट्रेलर नंबर RJ-52-GA- 5093 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उनके वाहन को ओवरटेक कर अचानक ब्रेक लगा दिये जाने का स्पष्ट कथन किया है जिसकी पुष्टि ए.डब्लू. 2 राजेश कुमार की साक्ष्य से भी होती है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 के उपरोक्त तर्क में भी कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

19. इस प्रकार प्रश्नगत दुर्घटना में वाहन ट्रेलर नंबर RJ-52-GA- 5093 का संलिप्त होना तथा अप्रार्थी संख्या–1 की लापरवाही से प्रश्नगत दुर्घटना कारित होने का तथ्य प्रार्थीगण भलीभांति साबित करने में सफल रहे हैं। अतः विवाद्यक संख्या–1 प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–2</u>

विवाद्यक संख्या–2 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा यह साबित किया जाना है कि–

''आया वाहन चालक अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा बरवक्त दुर्घटना वाहन के पंजीकृत स्वामी अप्रार्थी संख्या 2 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ एवं लाभार्थ उक्त प्रश्नगत वाहन को चला रहा था?''

20. प्रकरण में प्रार्थीगण ने प्रश्नगत दुर्घटना वाहन ट्रेलर संख्या RJ-52-GA- 5093 से कारित होना बताया है। उक्त ट्रेलर के स्वामित्व बाबत् पत्रावली पर उक्त ट्रेलर की आर. सी. (पंजीकरण प्रमाण–पत्र) प्रदर्श–10 मौजूद है जिसमें उक्त ट्रेलर का स्वामी अप्रार्थी संख्या–2 आकाश बारबरवाल होना दर्शित होता है। धारा 133 एम.वी एक्ट का नोटिस प्रदर्श–6 के रूप में मौजूद है जिसमें उक्त वाहन ट्रेलर RJ-52-GA- 5093 के स्वामी

अप्रार्थी संख्या–2 ने दिनांक 09.04.2022 को उक्त ट्रेलर का चालक अप्रार्थी संख्या–1 मुकेश कुमार को होना बताया है। इसी प्रकार धारा 134 एम.वी एक्ट के नोटिस प्रदर्श–7 में स्वयं अप्रार्थी संख्या–1 ने भी प्रश्नगत वाहन ट्रेलर संख्या RJ-52-GA- 5093 पर दिनांक 09.04.2022 को वरवक्त दुर्घटना स्वयं को बतौर चालक होने का तथ्य स्वीकार किया है। दुर्घटना के पश्चात् प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित होकर बाद अनुसंधान अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 279, 337, 304–ए भारतीय दंड संहिता में सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रश्नगत दुर्घटना अप्रार्थी संख्या–1 की लापरवाही से होना अंकित हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन ट्रेलर RJ-52-GA- 5093 पर बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी संख्या–1 का अप्रार्थी संख्या–2 के नियोजन में उसी के हितार्थ एवं लाभार्थ चालक होना तथा उक्त चालक अप्रार्थी संख्या–1 की लापरवाही से प्रश्नगत दुर्घटना कारित होने का तथ्य प्रार्थीगण भलीभांति साबित करने में सफल रहे हैं। अतः विवाद्यक संख्या–2 प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–3</u>

विवाद्यक संख्या–3 के अनुसार अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा यह साबित किया जाना है कि–

> ''आया अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कंपनी अपने लिखित कथन में दर्ज अनुसार प्रारंभिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, नहीं तो इसका प्रभाव?''

21. यह निर्विवादित है कि दुर्घटना की दिनांक अर्थात 09.04.2022 को विवादित वाहन ट्रेलर संख्या RJ-52-GA- 5093 प्रदर्श–12 बीमा पॉलिसी के अनुसार दिनांक 03.12.2021 से 02.12.2022 तक बीमित था। अतः वक्त दुर्घटना विवादित वाहन अप्रार्थी संख्या–3 दि ऑरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड़ के यहां बीमित होना प्रमाणित है।

22. जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 का यह तर्क कि प्रश्नगत दुर्घटना के समय वाहन ट्रेलर के चालक के पास वाहन के अनुरूप वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था तो इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उक्त वाहन चालक मुकेश कुमार के डी.एल की प्रति प्रदर्श–11 मौजूद है जो ड्राईविंग लाईसेंस दिनांक 25.01.2018 को जारी होकर दिनांक 15.06.2025 तक वैध होना प्रकट होता है अर्थात् दुर्घटना की दिनांक 09.04.2022 को वाहन चालक अप्रार्थी संख्या–1 का ड्राईविंग लाईसेंस वैध था।

23. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 का यह तर्क कि उक्त दुर्घटना वाहन RJ-52-GA-5093 को लोकस्थल पर चलाने बाबत् वैध एवं प्रभावी परमिट एवं फिटनेश नहीं था तो इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उक्त वाहन की परमिट एवं फिटनेश की प्रति प्रदर्श–13 व 14 के रूप में मौजूद है जिनके अवलोकन से दर्शित है कि ये दस्तावेजात् वैध एवं प्रभावी है।

24. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 की यह भी आपत्ति रही है कि प्रश्नगत दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या HR 63-C-9939 के चालक राजेश कुमार की भी लापरवाही रही है। अतः बीमा कंपनी का दायित्व अंशदायी योगदान तक है परन्तु अपने उक्त तर्कों के समर्थन में अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा किसी प्रकार की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा भी केवल अप्रार्थी संख्या–1 की गलती मानते हुए उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रदर्श–2 प्रस्तुत किया गया है।

25. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 की यह भी आपत्ति रही है कि प्रश्नगत वाहन ट्रेलर संख्या RJ-52-GA- 5093 को क्लेम लेने की गरज से कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर झूठा अन्तर्लिप्त होना बताया गया है परन्तु विवाद्यक संख्या–1 में किये गये विवेचनानुसार प्रार्थीगण उक्त वाहन ट्रेलर संख्या RJ-52-GA- 5093 की संलिप्तता को साबित करने में भलीभांति सफल रहे हैं। इसी स्तर पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ***2024(1) आर.ए.आर 173 (राज.) श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कृष्णा व अन्य***' से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो उक्त न्यायिक दृष्टांत के पैरा संख्या–11 के अनुसार–

> ''यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि दुर्घटना के सम्बन्ध में बीमा कंपनी की ओर से प्रश्नगत वाहन को मामले में झूठा लिप्त किये जाने का आक्षेप अवश्य लिया गया है किंतु इस सम्बन्ध में बीमा कंपनी द्वारा अधिकरण के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे दुर्घटना के विवरण के सम्बन्ध में दावाकर्ता की ओर से अधिकरण के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसका खंडन होता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो दुर्घटना के विवरण के सम्बन्ध में दावाकर्तागण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसका कोई खंडन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया जा सका। मोटरवाहन दुर्घटना के दावों में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाकर उनका निस्तारण किया जाता

है। ऐसे मामलों में निर्णय साक्ष्य की बाहुल्यता के आधार पर किया जाता है तथा दुर्घटना को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि आपराधिक मामलों में होता है। दावाकर्तागण की ओर से अधिकरण के समक्ष दुर्घटना के विवरण के सम्बन्ध में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह अखंडित रही है तथा उस पर अविश्वास किये जाने का हमारे समक्ष कोई कारण नहीं है।''

26. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधिकरण अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कंपनी की ओर से ली गई इस आपत्ति में कोई सार नहीं पाता है कि हस्तगत दुर्घटना संदेहास्पद है तथा उक्त दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन को मिली भगत कर झूठा संलिप्त किया गया है।

27. गवाह ए.डब्लू. 3 की साक्ष्य के आधार पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3 का यह भी तर्क रहा है कि गवाह ए.डब्लू. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मृतक को अपना रिश्तेदार होना बताया है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य बतौर परिवादी एवं नियोजक विश्वसनीय नहीं रह जाती है। परन्तु अधिकरण के मत में रिश्तेदार होने मात्र से उक्त गवाह की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है क्योंकि प्रश्नगत दुर्घटना के प्रारंभ से ही प्रार्थीगण की यह कहानी रही है कि मृतक विकास कुमार उक्त पवन कुमार के ट्रेलर पर खलासी के बतौर कार्य करता था। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा उठाई गई कोई भी आपत्ति प्रार्थीगण की क्लेम याचिका बाबत् अप्रार्थी संख्या–3 बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करती है। अतः विवाद्यक संख्या–3 अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

28. प्रश्नगत दुर्घटना के परिणामस्वरूप विकास जाट की मृत्यु हो जाना पत्रावली पर एक निर्विवादित तथ्य है। इसके अतिरिक्त उक्त मृतक विकास जाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 09.04.2022 भी पत्रावली पर प्रदर्श–15 के रूप में मौजूद है जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण उसके शरीर पर आई विभिन्न चोटों से हुए हेमरेज शॉक का होना बताया है। अतः प्रश्नगत दुर्घटना में उक्त विकास की मृत्यु होना एक स्वीकृत तथ्य है जिस तथ्य से अप्रार्थी संख्या–3 ने भी इंकार नहीं किया है।

<u>विवाद्यक संख्या–4</u>

विवाद्यक संख्या–4 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा यह साबित किया जाना है कि–

''आया दावेदार दावा में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्यायसम्मत राशि प्राप्त कर सकता है, हां तो कौन–कौन दावेदार कितनी–कितनी राशि किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते हैं?''

29. यह विवाद्यक प्रार्थीगण को दिलवाई जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में है जहां यह निर्धारित किया जाना है कि यह क्षतिपूर्ति राशि क्या हो, जिस संदर्भ में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है–

मृतक की आयु एवं गुणक

30. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका में दुर्घटना के समय मृतक विकास की आयु 23 वर्ष अंकित की गई है तथा प्रार्थी ए.डब्लू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी अपने पुत्र विकास की आयु 23 वर्ष होना बताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–15 में भी मृतक की आयु 23 वर्ष अंकित है परन्तु प्रलेखीय साक्ष्य के बतौर प्रस्तुत मृतक विकास के आधार कार्ड एन.ए. 1 पर गौर करें तो बरवक्त दुर्घटना मृतक की आयु 25 वर्ष होना प्रकट होता है। विधिनुसार दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य पर अधिभावी होती है। अतः मृतक विकास के आधार कार्ड एन.ए 1 के आधार पर बरवक्त दुर्घटना मृतक की आयु 25 वर्ष निर्धारित की जाती है। यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि दुर्घटना के मामलों में मृतक की आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष तक के मामलों में समान गुणक लागू होता है। अतः मृतक की आयु 25 वर्ष निर्धारित करने से भी प्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चम ***Sarla Verma & Ors vs Delhi Transport Corporation & Anr, AIR 2009 SC 3104*** में प्रतिपादित सिद्धांत की अनुपालना में दुर्घटना के समय मृतक विकास की आयु 25 वर्ष निर्धारित किये जाने के आधार पर पंचाट राशि का निर्धारण करने हेतु 18 का गुणक लागू किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

मृतक की आय

31. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है तो इस संदर्भ में मृतक के पिता ए.ड. 1बिजेन्दर सिंह ने अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में अपने पुत्र द्वारा वर्कशॉप पर मैकेनिक व खलासी का कार्य करके 24,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करना वर्णित किया है परन्तु इस संबंध में मृतक के पिता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे मृतक की आय 24,000/–रूपये मासिक होना दर्शित होता हो।

32. इसी संदर्भ में गवाह ए.डब्लू. 3 पवन कुमार को परीक्षित करवाया गया है जिसने मृतक को उसके वाहन ट्रेलर संख्या RJ-52-GA- 5093 पर बतौर खलासी कार्य करना तथा 24,000/–रुपये मानदेय देना जाहिर किया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत

नहीं किया है जिससे दर्शित हो कि उसके द्वारा मृतक को 24,000/–रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता था। हालांकि उक्त दोनों गवाहान द्वारा मुख्य परीक्षण में मृतक के रोजगार के सम्बन्ध में किये गये कथनों का खंडन अप्रार्थीगण की ओर से किसी दस्तावेजीय या मौखिक साक्ष्य से नहीं किया गया है परन्तु मृतक ने मेकेनिक में कोई विशेष दक्षता प्राप्त कर रखी हो, ऐसा दस्तावेज प्रार्थीगण की ओर से पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, इसलिए प्रार्थीगण मृतक की मासिक आय 24,000/–रूपये होना प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। चूंकि मृतक की निश्चित आय प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहे हैं ऐसी स्थिति में मृतक को अकुशल कर्मकार की श्रेणी में माना उचित प्रतीत होता है। यदि मृतक जीवित रहता तो वह अकुशल कर्मकार के रूप में आय अर्जित करता।

33. घटना वर्ष 2022 की है तथा वर्ष 2022 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार अकुशल कर्मकार की दैनिक आय 259/–रूपये निश्चित की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विनिश्चय ***Leelaram vs Deshraj, 2021 Vol. 2 ACTC page 1113 निर्णीत दिनांक 09.12.2021*** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार मासिक आय का निर्धारण 30 कार्य दिवस मानते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में भी मृतक की आय का निर्धारण 30 कार्य दिवस मानते हुए किया जाना न्यायोचित है। राजस्थान में श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर के आधार पर 259/–रूपये प्रतिदिन के आधार पर 30 कार्य दिवस मानते हुए 7,770/– रूपये प्रतिमाह होना आंकलित की जाती है।

भविष्य की संभावना

34. भविष्य की संभावना के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत ***National Insurence Company Ltd vs Pranay Sethi & Ors.,AIR 2017 SC 5157*** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार आय की क्षति के रूप में भावी प्रत्याशा के बाबत् प्रार्थीगण को प्रतिकर दिलाया जाना उचित है। बरवक्त दुर्घटना मृतक की आयु 25 वर्ष होने से मासिक आय का 40 प्रतिशत दिलवाया जाना उचित है। इस प्रकार 7,770/–रुपये का 40 प्रतिशत 3,108/–रुपये भविष्य की संभावना के रूप में मृतक की मासिक आय में सम्मिलित करते हुए कुल मासिक आय 10,878/–रुपये नियत की जाती है।

<u>मृतक पर आश्रित/विधिक प्रतिनिधि एवं आय की क्षति</u>

35. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि मृतक पर कौन–कौन आश्रित थे, तो इस संदर्भ में पत्रावली पर प्रार्थीगण की ओर से यह स्वीकृत स्थिति है कि बरवक्त दुर्घटना मृतक विकास अविवाहित था। बरवक्त दुर्घटना मृतक के अविवाहित होने की स्थिति में आय की क्षति बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ***Shiv Singh & Anr. vs Dheer Singh & Ors. 2022 (1) R.A.R 51 (Raj)*** पर गौर करें तो उक्त न्यायिक दृष्टांत के जरिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के अविवाहित होने की स्थिति में उसके व्यक्तिगत खर्चे हेतु मृतक की आय में से 1/2 आय की कटौती की गई है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में मृतक की कुल मासिक आय 10,878/–रुपये में से 1/2 भाग अर्थात् 5,439/–रुपये स्वयं के खर्चे के लिए कम किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार मृतक की जो मासिक आय उपरोक्तानुसार 10,878/–रुपये निर्धारित की गई है उसका 1/2 भाग 5,439/–रुपये होता है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार निर्धारित कुल आय 10,878/–रुपये में से 5,439/ रुपये कम किये जाने के पश्चात् शेष कुल आय 5,439/–रुपये प्राप्त होती है जिसे अधिकरण क्षतिपूर्ति गणना के लिए मासिक आय के रूप में निर्धारित करता हैं।

36. मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त ***Sarla Verma & Ors vs Delhi Transport Corporation & Anr, AIR 2009(6) SCC Page 121*** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार मृतक की आयु 21 वर्ष से 25 वर्ष होने के आधार पर आश्रित की आय की क्षतिपूर्ति हेतु 18 का गुणक प्रयोग में लिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार मृतक के आश्रितों को **5,439X12X 18 = 11,74,824/– रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>स्नेह/वात्सल्य, दाह संस्कार एवं सम्पदा की क्षति</u>

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ***National Insurence Company Ltd vs Pranay Sethi & Ors.,AIR 2017 SC 5157*** के अनुसार इस मद में माता–पिता, संतान एवं पति–पत्नी के बाबत् स्नेह/वात्सल्य के रूप में राशि दिलाये जाने बाबत् दिशा–निर्देश दिये गये हैं जिसमें प्रति तीन वर्ष बाद 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्रांक Gen/XV/61/2023/1145 दिनांक 05.05.2023 के आदेशानुसार मृतक के आश्रितगण को consortium की मद में

प्रत्येक प्रार्थी को राशि दिलाये जाने के लिए अधिकरण को निर्देशित किया गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 क्रमशः मृतक के पिता व भाई हैं जो मृतक की असमय मृत्यु के कारण उसके प्रेम, स्नेह व दैनिक देखभाल से वंचित हुए हैं इसलिए मृतक के लिए सात्वना राशि प्रत्येक प्रार्थी को दिलाया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थीगण सात्वना राशि बाबत् (प्रत्येक प्रार्थी 44,000 X 2) 88,000/–रुपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार प्रार्थीगण सम्पदा की क्षति के मद में 16,500/–रुपये तथा दाह संस्कार के मद में 16,500/–रुपये मृतक के विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

38. अतः अधिकरण उपरोक्त समस्त गणना के उपरांत निर्धारित करती हैं कि प्रार्थीगण नियमानुसार निम्नलिखित मद में क्षतिपूर्ति राशि मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण की हैसियत से प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्र0सं0	मद	गणना राशि रूपयों में
1	मृतक की मृत्यु पर आय की क्षति के लिए	11,74,824 / रूपये
2	सांत्वना राशि (प्रत्येक प्रार्थी 44,000X 2)	88,000 / रूपये
3.	सम्पत्ति नुकसान के मद में	16,500 / रूपये
4	दाह संस्कार के मद में	16,500 / रूपये
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	**12,95,824** / रूपये

39. इस प्रकार प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से कुल प्रतिकर राशि **12,95,824/रूपये** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>अनुतोष</u>

40. विवाद्यक संख्या–1 लगायत 4 के विवेचनानुसार प्रार्थी संख्या 1 बिजेन्दर व प्रार्थी संख्या–2 राकेश, अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 3 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से उक्त वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। शेष राशि के संदर्भ में क्लेम याचिका खारिज किए जाने योग्य हैं।

41. जहां तक अवार्ड राशि पर ब्याज दिलवाये जाने का प्रश्न है तो इस संदर्भ में न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **सिविल अपील संख्या 2526/2012 इनयांथ राजासाब अत्तर बनाम सांतवा निर्णय दिनांक 19.02.2020** में वर्णित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिलवाये गये 12% वार्षिक ब्याज को घटाकर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिलवाया है। इसी प्रकार न्यायिक

दृष्टान्त **2008 आरएआर 217 (एस.सी.) धर्मपाल व अन्य बनाम यू.पी. राज्य ट्रांसपोर्ट कॉरपारेशन लि0 व अन्य** के अनुसार 6% ब्याज देय होगा। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को अवार्ड राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: पंचाट ::

42. निष्कर्षतः प्रस्तुत क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण बिजेन्दर व अन्य के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध संयुक्ततः व पृथक–पृथक रूप से **12,95,824/रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। प्रकरण में यदि प्रार्थीगण को अन्तरिम राशि (नो फाल्ट लाईबिलिटी) का भुगतान किया गया है तो वह राशि समायोजित की जावेगी।

43. उक्त प्रतिकर राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक 20.06.2022 से निर्णय की दिनांक तक न्यायिक दृष्टांत **2008 आर.ए.आर. 217 (एस.सी.) धर्मपाल व अन्य बनाम यू. पी. राज्य ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि0 व अन्य** एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **सिविल अपील संख्या 2526/2012 इनयांथ राजासाब अत्तर बनाम सांतवा निर्णय दिनांक 19. 02.2020** में अभिनिर्धारितानुसार 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज भी प्रार्थी पक्ष को देय होगा। उपरोक्त अवधि में पंचाट राशि की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर दावा दायरी से तावसूली 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देय होगा। उक्त राशि में से आयकर योग्य राशि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत TDS कटौती के अधीन रहेगी।

44. प्रतिकर राशि का भुगतान होने पर प्रार्थीगण प्रतिकर राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी है और प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिकर राशि का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

क.सं.	नाम प्रार्थी	बचत खाता	सावधि खाता	अवधि
1.	बिजेन्दर सिंह पुत्र श्री देशराज, उम्र 67 वर्ष	3,95,824/रूपये एवं देय ब्याज	2,00,000/रूपये 2,00,000/रूपये 2,00,000/रूपये	01 वर्ष 02 वर्ष 03 वर्ष
2.	राकेश पुत्र बिजेन्दर, उम्र–27 वर्ष	1,00,000/रूपये	1,00,000/रूपये 1,00,000/रूपये	01 वर्ष 02 वर्ष

45. सावधि खातों में जमा राशि का अवधि पूर्व भुगतान अधिकरण की अनुमति के बिना नहीं होगा एवं न ही इन पर किसी प्रकार का कोई ऋण देय होगा।

46. प्रकरण में व्यय पक्षकार स्वयं वहन करेंगे। उपरोक्तानुसार अप्रार्थी बीमा कम्पनी को उक्त समस्त राशि अपील अवसान अवधि से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के **एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6237/2017 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य** में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार इस अधिकरण अर्थात मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, जयपुर जिला जयपुर (अति0 जिला एवं सेशन न्यायालय, क्रम–1, जयपुर जिला जयपुर) के इण्डियन बैंक, शाखा– सुभाष नगर, जयपुर IFSC Code IDIB000J526 के खाता संख्या 50446015973 में सीधे ही NEFT या RTGS के माध्यम से जमा करवाने के संबध में अवार्ड अनुसार तहरीर जारी की जावे। प्रार्थीगण अपने बचत खाते की बैंक पासबुक व पेन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि तुरन्त पेश करे, ताकि उक्त अप्रार्थी बीमा कम्पनी द्वारा जमा करवाई गई राशि NEFT या RTGS के मार्फत अधिकरण के आदेशानुसार तुरन्त बचत खाते व सावधि खाते में जमा हो सके।

47. शेष क्षतिपूर्ति बाबत प्रार्थीगण की याचिका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

(विकास कालेर)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
जयपुर जिला जयपुर
(अति0 जिला एंव सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, जयपुर जिला जयपुर)

48. निर्णय/पंचाट आज दिनांक 04 जुलाई, 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकास कालेर)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण,
जयपुर जिला जयपुर
(अति0 जिला एंव सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, जयपुर जिला जयपुर)